



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1526/2026

सलमान उर्फ भोलू और अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आकाश मिश्रा, संतोष सिंह प्रतिवादी(यों) के
अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने शुरुआत में बयान दिया है कि वे रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं, साथ ही बेहतर विवरणों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं।
3. उपरोक्त कथन के मद्देनजर, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।
4. एफआईआर की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार वापस कर दी जाए।

3 फरवरी, 2026

केएस

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"